


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या-15/2020-21(LU)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपटित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि : मौजा- <u>मौरीडा</u> थाना नं०- <u>117</u> खाता संख्या- <u>10</u> प्लॉट संख्या-..... रकबा- <u>3.87</u> एकर की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-..... के पृष्ठ संख्या- <u>118</u> पर जमाबंदी रैयत <u>चवपीवन मिश्रा पिता खेतू मिश्रा</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/09/2020</u> को उपस्थापित करें।</p>	


 03/09/20
 अंचल अधिकारी
 गोविन्दपुर

संख्या १९७०

19/9/2020

अभिलेख प्रपत्रवर्षिका, नॉटिस तारीख द्वारा निर्धारित तिथि को जमाबंदी रीयात / जमाबंदी रीयात के संज्ञक के द्वारा सत्ता भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज सम्पत्ति नहीं किया गया और न ही अपना पत्र ही रखा गया।

अतः सत्ता जमाबंदी को अर्थ में मानते हुए इस विधान (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(i) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुमति दी जाती है। अंततः कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमस्याओं को भेजे।

19/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- बालजीवन मिश्रा पिता खेत मिश्रा
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>नौडीहा</u>	<u>119</u>	<u>10</u>	<u>—</u>	<u>3.87 बी०</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-.....118..... पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- 1978
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- अनायाद बिधा साकार (अनायाद)
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- ---
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण - / अवैध भूबन्दोवस्ती) -
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	718615	30-11-78	1978
2	80115737	28-10-99	1999

अनायाद बिधा साकार

उपरोक्त भूमि मौजा नौडीहा थाना नं० 119 के पंजी-II के जमाबंदी सं० 118 में जमाबंदी
 रैयत बालजीवन मिश्रा पिता खेत मिश्रा, खाता सं० 10 रकबा 3.87 बी०, प्लॉट
 सं० --- पर कायम है। लगान वर्ष 1999 तक का वर्ष है। प्राधिकार कोमकम 28/10/99
 अनायाद पंजी के अनुसार अनायाद खाता की मकिल है जो अनायाद उपक द्वारा जमाबंदी
 प्रतीत होता है।

(Handwritten signature)